Order Sheet [Contd]

	Case No	/ 2017 बी.ए
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
Sell'a	20.07.2017 अावेदक/अमियुक्त सूरज की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण आज शींघ्र सुनवाई में लिए जाने बावत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आवेदक श्रीपी सूरज का नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने एवं निराकरण होना है। अतः प्रकरण शींघ्र सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया। प्रच्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। अावेदक/अभियुक्त सूरज की ओर से यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा एवं आवेदक अभियुक्त अरूण की ओर से श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता द्वारा प्रथक जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फी० प्रस्तुत किये गए है। उक्त आवेदनपत्र एक ही अपराध से संबंधित होने से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त सूरज की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फी० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है, इसी प्रकार आरोपी अरूण की ओर से श्री एम.एल. मुदगल अधि० द्वारा द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फी० पेश कर निवेदन किया कि प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फी० पेश कर निवेदन किया कि प्रथम जमानत आवेदनपत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदकरण पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदकरण पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आवेदकरण पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया चक्त के अपराध्य पंजीबद्ध करा दिया जिससे आवेदकरण का के विरुद्ध सरोकार नहीं है। प्रकरण में सहआरोपी विजयराम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डमील व्यालियर द्वारा एवं आवेदक अभियुक्त सतीश को जमानत पर समानता के आधार पर उसी न्यायालय खण्डमील किया गया है। वर्तमान आवेदकरण का किया गया। अभिलेख का अवालिकर का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। परच की ओर से अपर लोक अमियोजक ने जमानत का वेरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का विवेदन किया है। जावेदन अमियोजक से अधार पर मुक्त हो और सहआरोपी विजयराम एवं सतीश को जमानत हो का जोर से सहआरोपी सूरज की ओर से यह आधार लिया गया। है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धार विते जागि ही हो। अतः अभिवेखिक को समानता के आधार पर जमानत के आधार पर जमानत की	

मोटरसाइकिल में ले जाने और उसके साथ पहाडिया पर बल पूर्वक संभोग करने के आरोप लगाए है। आवेदक / अभियुक्त अरूण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक ०४. 07.17 को गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों में परिवर्तन होना नहीं माना जा सकता है। जहाँ तक जमानत पाए सहआरोपीगण को जमानत पर छोडे जाने का प्रश्न है उन पर केवल पहाडिया पर चौकीदारी करने का आरोप है। अतः आवेदक / अभियुक्त अरूण समानता के आधार पर जमानत पर मुक्त होने का पात्र नहीं है।

जहाँ तक आवेदक / अभियुक्त सूरज का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 जा.फो. के कथनों में अभियोक्त्री ने आरोपी सूरज द्वारा बलात्संग किये जाने के कथन नहीं किए है, किन्तु यदि दिनांक 17.04.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष धारा 164 जा०फौ० के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का अवलोकन किया जाए तो फरियादिया ने आरोपी अरूण एवं सूरज पर मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जाने और चिल्लाने पर सूरज के द्वारा मुॅह दवाने एवं पहाडिया पर ले जाकर अरूण एवं सूरज के द्वारा बलात्कार किये जाने संबंधी कथन किये है।

🥟 जहाँ तक आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं के इन तर्कों का प्रश्न है। फरियादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 के कथनों में एवं धारा 164 जा0फौ0 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में प्रथक प्रथक बात बताई है, यह गुणदोष का विषय है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त सुरज एवं अरूण पर फरियादिया द्वारा गंभीर आराप लगाए है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का मामला जमानत पाए सहआरोपीगण विजयराम व सतीश के समान नहीं है।

परिणामतः आवेदकगण/अभियुक्तगण अरूण एवं सूरज की ओर से प्रस्तुत प्रथक प्रथक जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेत् दिनांक 04.08.2017 को पेश हो।